इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

धरम सिंह और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2393-2394/2008)

अगस्त 20, 2014

[जगदीश सिंह खेहर और अरुण मिश्रा, जेजे.]

श्रम कानूनः

औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष श्रमिकों का प्रतिनिधित्व - 113 श्रमिकों को उनके रोजगार की तारीख से स्थायी घोषित न करना – विवाद में शामिल श्रमिकों की बैठक बुलाई गई जिसमें 113 श्रमिकों में से 71 ने निर्णय लिया कि, अब से उनका प्रतिनिधित्व 5 श्रमिकों द्वारा किया जाएगा - औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष 113 श्रमिकों में से 5 श्रमिकों (प्रतिवादियों) का प्रतिनिधित्व - प्रत्यर्थियों की न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की क्षमता को प्रबंधन द्वारा चुनौती दी गई - क्या उ.प्र.औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-1 और उ.प्र.औद्योगिक विवाद नियमावली का नियम 40 उस स्थिति में लागू होगा, जहां श्रमिक औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला स्वयं या अपनी ओर से कुछ को चुनकर प्रस्तुत करना चुनते हैं- अभिनिर्धारित: धारा 6-1 और नियम 40 केवल उस स्थिति में लागू होंगे, जहां श्रमिक औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष तीसरे पक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना चुनते हैं - ये प्रावधान तब लागू नहीं होंगे, जब श्रमिक अपना मामला स्वयं प्रस्तुत करना चुनते हैं - मौजूदा स्थिति में, इनमें से कोई भी प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा - किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी विवाद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति की पसंद एक निहित अंतर्निहित अधिकार है - यह केवल किसी

और के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने का विशेषाधिकार है, जिसके लिए कानून की मंजूरी की आवश्यकता है - धारा 6-1, साथ ही, नियम 40 उस सीमा को अलग करता है जिस तक विशेषाधिकार बढ़ाया जा सकता है - उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 6-1 - औद्योगिक विवाद नियम- नियम 40(1)(i)(c)

औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अभिनिर्धारित: यदि एक ही पक्ष में एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से शामिल हैं, तो यह उनके लिए आपस में एक और, उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनने के लिए खुला है - ऐसा उपबंध आदेश 1 नियम VIII सीपीसी के तहत भी शामिल किया गया है- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 1 नियम 8.

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1. यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-1 केवल उस स्थिति में लागू होगी जहां श्रमिक दूसरों द्वारा प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और कार्यवाही में खुद का प्रतिनिधित्व नहीं करने का विकल्प चुनते हैं। ऐसी अत्यावश्यकता में, अधिनियम की धारा 6-1 में निहित अधिदेश के संदर्भ में चुनाव करना अनिवार्य है। विपरीत पक्ष की सहमति के बिना, किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना खुला नहीं है। यदि कर्मचारी संघ के किसी अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखते हैं, तो विकल्प केवल ऐसे अधिकारी का हो सकता है, जो संघ में उस पद पर रहा हो, जो दो वर्ष से अधिक की अवधि तक रहा हो। यू.पी.औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 40 के अंतर्गत भी यूनियन के एक अधिकारी के माध्यम से, फेडरेशन ऑफ यूनियंस के एक अधिकारी के माध्यम से और किसी भी यूनियन की अनुपस्थिति की स्थिति में नियम 40(1)(i)(सी) के तहत निर्धारित तरीके से प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाता है। [पैरा 10] [600-बी-ई]

2. किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी विवाद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव एक निहित अंतर्निहित अधिकार है। किसी अन्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने के विशेषाधिकार के लिए ही कानून की मंजूरी की आवश्यकता होती है। धारा 6-1 और साथ ही, नियम 40 उस सीमा को अलग करता है जिस तक विशेषाधिकार बढ़ाया जा सकता है। यह कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, कि ऐसे मामले में जहां एक ही पक्ष में एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से शामिल होते हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनमें से एक को चुनने के लिए यह खुला है। ऐसा प्रावधान सीपीसी के आदेश 1 नियम VIII के तहत भी शामिल पाया गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रत्यर्थी-श्रमिकों के लिए यह खुला था कि वे अपने बीच से एक या अधिक को चुनें। [पैराज 11,14] [600-जी-एच; 603-एफ-जी]

3. प्रत्यर्थियों-श्रमिकों को 1989 से पहले अपीलार्थी-प्रबंधन के रोजगार में शामिल किया गया था। 1989 में कर्मचारी संघ द्वारा उनकी ओर से सुलह कार्यवाही शुरू की गई थी। दावा जो 1989 में शुरू हुआ और 1998 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय के लिए भेजा गया था, अभी भी विचार के लिए नहीं लिया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान कुछ श्रमिकों की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। अपीलार्थी-प्रबंधन ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, और इस प्रकार, श्रमिकों को उनके कथित अधिकारों की वैध खोज से थका दिया है। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को शीघ्र राहत देने के लिए ही ये लाभकारी कानून बनाए गए हैं। मुकदमेबाजी की इस कठिन लंबी प्रक्रिया में शामिल रहने के लिए प्रत्यर्थियों श्रमिकों को कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी-प्रबंधन को शेष चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक कर्मचारी को लागत के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। [पैरा 17 से 16 तक] [605-एफ; 606-ई-जी]

मैसर्स महाबीर सीजिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी और अन्य बनाम द.औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद 1979 एलएबी आई.सी. 674-संदर्भित।

गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम आर.के. चावला और अन्य 2011 (15) एससीसी 449: 2011 (7) एससीआर 846 अप्रयोज्य रखा गया ।

मामला कानून संदर्भः

1979 एलएबी आई.सी. 674	संदर्भित किया गया	पैरा 12
2011 (7) एससीआर 846	अप्रयोज्य रखा गया	पैरा 15

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2393-2394/2008

इलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 58121/2006 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2007 और सीएमआरए संख्या 133281/2007 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2007 से उत्पन्न।

राकेश द्विवेदी, सुब्रमण्यम प्रसाद, अपीलार्थी की ओर से।

कॉलिन गोंजाल्विस, ज्योति मेंदिरत्ता, प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधिपति.

1. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी प्रबंधन/उद्योग है। इसने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, ताकि औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यर्थी (जो श्रमिक हैं) की क्षमता पर हमला किया जा सके, उन 113 श्रमिकों में से पांच प्रत्यर्थी/श्रमिकों (धरम सिंह, संजय नगर, रणवीर नगर, प्रताप सिंह और धनपत

सिंह) द्वारा से जो उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष औद्योगिक विवाद का आंदोलन कर रहे थे।

2. मूल रूप से, प्रत्यर्थियों-श्रमिकों के कारण का समर्थन नोएडा इंजीनियरिंग मजदूर संघ द्वारा किया गया था। हालाँकि, 2003 में उपरोक्त संघ की मान्यता रद्द होने के परिणामस्वरूप, प्रबंधन यानी हमारे सामने अपीलार्थी ने आपत्ति जताई कि प्रत्यर्थी-श्रमिकों का कारण अब नोएडा इंजीनियरिंग मजदूर संघ द्वारा से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी प्रबंधन ने तदनुसार अनुरोध किया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण को मामले के निर्णय के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस निवेदन के कारण कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी-श्रमिकों का प्रतिनिधित्व केवल उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 6-। के अनुरूप हो सकता है, जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियम, 1957 (इसके बाद 'औद्योगिक विवाद नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 40 के साथ पढ़ा जा सकता है, यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्यर्थी-श्रमिकों को इसके अनुरूप अपनी पसंद बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह उस विवाद का सार है जिसे हमारे समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

3. विवाद के सीमित दायरे के बावजूद, जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विवाद की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान दें। पहली बार में, सुलह बोर्ड के समक्ष लंबे समय तक सुलह की कार्यवाही की गई। सुलह कार्यवाही की विफलता के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने 28.05.1998 को निम्नलिखित विवादों को निर्णय के लिए श्रम न्यायालय, गाजियाबाद को भेजाः -

> "क्या संलग्न अनुसूची में उल्लिखित 113 श्रमिकों को उनके रोजगार की तारीख से स्थायी घोषित नहीं करना और प्रबंधन द्वारा उन्हें समान

वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं करना अवैध और अन्यायपूर्ण है? यदि हाँ, तो श्रमिक किस राहत और अन्य परिणामी लाभों के हकदार हैं और किस तारीख से?

4. वर्तमान स्तिथि पर, प्रत्यर्थियों-श्रमिकों ने राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दिया कि वह मामले को श्रम न्यायालय, गाजियाबाद से औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ में निर्णय के लिए स्थानांतरित करे। प्रत्यर्थियों-श्रमिकों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक आदेश दिनांक 06.03.1999 पारित किया। प्रबंधन अर्थात् इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 16666/1999 दायर करके उपरोक्त आदेश दिनांक 06.03.1999 का प्रतिरोध किया। उपरोक्त रिट याचिका को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश (जिसे इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा आदेश दिनांक 26.09.2002 द्वारा स्वीकार किया गया। आदेश दिनांक 06.03.1999, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने संदर्भित विवादों को श्रम न्यायालय, गाजियाबाद से औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ को स्थानांतरित किया था, को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि अपीलार्थी-प्रबंधन को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। तदनुसार राज्य सरकार को छह महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।

5. उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 16666/1999 में) के अनुपालन में, राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 11.02.2003 द्वारा विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ से श्रम न्यायालय, गाजियाबाद को फिर से स्थानांतरित कर दिया। प्रतिवादियों-श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल विविध रिट याचिका संख्या 13986/2003 द्वारा से तत्काल आदेश के विरुद्ध मांग की गई थी। उपरोक्त रिट याचिका को 02.04.2003 को

एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। हालाँकि यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश दिनांक 02.04.2003 में निम्नलिखित टिप्पणियां दर्ज की गई थीं:

> "मैं इस आशंका को साझा नहीं कर पा रहा हूं। नियोक्ताओं ने औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ को संदर्भ के हस्तांतरण को चुनौती दी थी और अब राज्य सरकार द्वारा गाजियाबाद में श्रम न्यायालय (II) के संदर्भ को बनाए रखते हुए मामले का फैसला किए जाने के बाद, नियोक्ताओं को इस आधार पर इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ को भेजा जाना चाहिए था। संदर्भ, पहली या दूसरी अनुसूची में नहीं आता है और इसे पहली अनुसूची की अवशिष्ट मद संख्या 6 में लिया जा सकता है, और इस प्रकार श्रम न्यायालय मामले पर निर्णय लेने के लिए समर्थ है।"

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त टिप्पणियां अपीलार्थी-प्रबंधन के लिए रुचिकर नहीं थीं। इसलिए अपीलार्थी-प्रबंधन ने उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपील संख्या 410/2003 को प्राथमिकता दी। खंड बेंच के समक्ष, अपीलार्थी-प्रबंधन का निवेदन था कि दिनांक 02.04.2003 का आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को अपना मामला पेश करने का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निवेदन पर विचार नहीं किया और 13.08.2003 दिनांकित आदेश द्वारा विशेष अपील का निस्तारण किया। हालाँकि, अपीलार्थी-प्रबंधन को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह उपरोक्त परिस्थितियों में है कि अपीलार्थी-प्रबंधन ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक वापस बुलाने का आवेदन दायर किया। उपरोक्त आवेदन

04.09.2003 को खारिज कर दिया गया। फिर भी, अपीलार्थी-प्रबंधन ने विशेष अपील संख्या 1027/2003 को दिनांकित 04.09.2003 के आदेश के विरुद्ध प्राथमिकता दी, जिसके तहत, अपीलार्थी-प्रबंधन द्वारा वापस बुलाए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इस अवसर पर प्रतिद्वंद्वी पक्षों की सहमति से, निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज करके विशेष अपील का निस्तारण किया गयाः

> "वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और दोनों पक्षों के मामले पर इस हद तक विचार करते हुए कि संदर्भ मामले का निर्णय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए, हम संदर्भ मामले को श्रम न्यायालय-II, गाजियाबाद से संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण को उसके निर्णय के लिए स्थानांतरित करते हैं और निर्देश देते हैं कि संदर्भ मामले की कार्यवाही श्रम न्यायालय के समक्ष उस चरण से शुरू होगी, जैसा कि हम अभिलेखों से पाते हैं कि लिखित बयान और अन्य सामान श्रम न्यायालय के समक्ष पहले ही पूरा हो चुका है। इसलिए औद्योगिक न्यायाधिकरण किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार संदर्भ मामले का निस्तारण करेगा।"

इसलिए प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच विवाद सहमति से सुलझा लिया गया क्योंकि मामला अंततः औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ यानी श्रमिकों द्वारा सुझाए गए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया।

6. इसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर इस मामले पर विचार किया गया। औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष, अपीलार्थी-प्रबंधन ने

दिनांक 08.02.2006 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नोएडा इंजीनियरिंग मजदूर संघ, एक मान्यता प्राप्त संघ नहीं रह गया था। यह इंगित किया गया था कि उपरोक्त संघ की मान्यता 11.03.2003 को रद्द कर दी गई थी, और इस तरह, संघ के अधिकारी अब प्रत्यर्थियों-श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे।

7. 01.05.2006 पर, श्रमिकों (वर्तमान विवाद में शामिल) की एक बैठक बुलाई गई थी। 113 श्रमिकों में से 71 ने इसमें भाग लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब से उनका प्रतिनिधित्व 5 श्रमिकों द्वारा किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रस्ताव दिनांक 01.05.2006 के माध्यम से चुने गए ये 5 कर्मचारी विवाद में शामिल 113 प्रत्यर्थियों-श्रमिकों में से थे। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा संकल्प दिनांक 01.05.2006 के संदर्भ में प्रत्यर्थियों-श्रमिकों की ओर से प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2006 के अनुसार, प्रत्यर्थियों-श्रमिकों को औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व को अंतिम रूप देने के लिए औद्योगिक विवाद नियमों के नियम 40(1)(i)(सी) में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा 07.08.2006 को पारित तत्काल आदेश पर रिट याचिका संख्या 58121/2006 दायर करके प्रत्यर्थियों-श्रमिकों में से एक द्वारा विरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-श्रमिकों के दावे को अपने आदेश दिनांक 30.04.2007 के माध्यम से निम्नानुसार मानते हुए स्वीकार कर लियाः -

> "9. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। न्यायिक मामले संख्या 157/2003 में औद्योगिक न्यायाधिकरण का आदेश दिनांक 7.8.2006 अपास्त किया जाता है। यह शेष श्रमिकों के लिए खुला होगा, जो मामले में रुचि रखते हैं, उनका प्रतिनिधित्व उनके अधिकृत

प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा ताकि इसके तार्किक निष्कर्ष के संदर्भ को आगे बढ़ाया जा सके। औद्योगिक न्यायाधिकरण वर्ष 1989 के पुराने मामले पर प्राथमिकता के आधार पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेगा।"

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2007 तत्काल सिविल अपीलों द्वारा अपीलार्थी-प्रबंधन के हाथों चुनौती का विषय है।

8. सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी-प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता के हाथों दिया गया एकल विवाद, यू.पी. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-। पर आधारित था। उसी को यहाँ नीचे निकाला जा रहा हैः

"6-।. पक्षकारों का प्रतिनिधित्व-(1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, औद्योगिक विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व बोर्ड, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित तरीके से किया जा सकता है।

(2) बोर्ड के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व एक कानूनी व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा, और श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व एक कानूनी व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि कार्यवाही के लिए दूसरे पक्ष या पक्षों की सहमति और श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अनुमति, जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं की गई हो।

(3) संघ का कोई भी अधिकारी किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम,

1926 के तहत इसके पंजीकरण के बाद से दो साल की अवधि बीत न गई हो और संघ केवल एक व्यापार के लिए पंजीकृत हैः

बशर्ते कि संघों के संघ का एक अधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो निर्धारित की जा सकती हैं और किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है।"

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन था कि यू.पे.औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-। की उप-धारा (2) और (3) वर्तमान विवाद पर लागू नहीं थीं, क्योंकि प्रत्यर्थियों-श्रमिकों ने एक कानूनी व्यवसायी द्वारा से प्रतिनिधित्व नहीं मांगा था, और यह भी कि उन्होंने इसकी उप-धारा (3) के संदर्भ में संघ के एक अधिकारी द्वारा से प्रतिनिधित्व दायर नहीं किया था। तदनुसार अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन था कि औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ के समक्ष प्रत्यर्थियों-श्रमिकों की ओर से प्रतिनिधित्व केवल यू.पी.औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-। की उप-धारा (1) में निहित शासनादेश के संदर्भ में हो सकता था, जो यह अभिनिर्धारित करता है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थियों-श्रमिकों की ओर से प्रतिनिधित्व केवल "निर्धारित तरीके से" हो सकता था। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यू.पी.औद्योगिक विवाद नियमों के नियम 40 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो पक्षों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करता है। नियम 40 को नीचे उद्धत किया जा रहा हैः

"40. दलों का प्रतिनिधित्व।-(1) पक्षकार अपने विवेकानुसार किसी बोर्ड, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरणक के समक्ष प्रतिनिधित्व कर सकती हैं -

(i) धारा 6-I की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन किसी कर्मकार के मामले में, -

(ए) किसी संघ का एक अधिकारी जिसका वह सदस्य है, या

(ख) संघों के संघ का एक अधिकारी जिससे उपरोक्त धारा (ए) में उल्लिखित संघ संबद्ध है, और

(ग) जहां श्रमिकों का कोई संघ नहीं है, वहां श्रमिक द्वारा विधिवत नामित कोई प्रतिनिधि, जो सरकार, या कार्यकारी के किसी सदस्य, या अन्य अधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के तहत सुलह बोर्ड के समक्ष आवेदन करने के हकदार हैं;

(ii) नियोक्ता के मामले में, द्वारा

(ए) किसी ऐसे संघ या नियोक्ता संघ का अधिकारी जिसका नियोक्ता सदस्य हो, या

(बी) संघों के संघ या नियोक्ताओं के संघों का एक अधिकारी जिसके लिए उपरोक्त धारा (ए) में निर्दिष्ट संघ या संघ संबद्ध है, या

(सी) संबंधित अधिकारी द्वारा, यदि नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हैः

बशर्ते कि संघों के संघ का कोई भी अधिकारी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि संघ को इस उद्देश्य के लिए श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।

(2) किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने वाला एक पक्ष उस प्रतिनिधि के कार्यों से बाध्य होगा।

(3) बोर्ड, श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संघों के एक संघ के अनुमोदन के लिए श्रम आयुक्त को फॉर्म XX में आवेदन किया जाएगाः

बशर्ते कि संघों का कोई भी संघ तब तक अनुमोदन के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि इसके गठन के बाद से दो साल की अवधि बीत न गई हो।

(4) उपरोक्त उपनियम (3) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर श्रम आयुक्त ऐसी पूछताछ करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, संघ को मंजूरी दे सकता है या आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। यदि किसी संघ को मंजूरी दी जाती है तो उसका नाम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा अन्यथा आवेदक को श्रम आयुक्त द्वारा लिखित रूप में स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

(5) श्रम आयुक्त या ट्रेड यूनियनों का पंजीयक, उत्तर प्रदेश, किसी संघ की मंजूरी से पहले या बाद में किसी भी समय संघ से ऐसी जानकारी मांग सकता है जो वह आवश्यक समझता है और संघ इस प्रकार मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक अनुमोदित महासंघ, -

(क) श्रम आयुक्त और ट्रेड यूनियनों के पंजीयक, उत्तर प्रदेश को प्रपत्र XXI में उसके मुख्य कार्यालय और कार्यपालिका के सदस्यों (उसके पदाधिकारियों सहित) के पते में हर बदलाव के बारे में सात दिनों के भीतर सूचित करेगा; और

(ख) हर साल 31 दिसंबर तक श्रम आयुक्त और ट्रेड यूनियनों के पंजीयक, उत्तर प्रदेश को फॉर्म XXII में इससे संबद्ध संघों की एक सूची प्रस्तुत करें।

(7) श्रम आयुक्त, किसी भी समय और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उपरोक्त उप-नियम (4) के तहत किसी संघ को दी गई मंजूरी को वापस ले सकता है।

(8) उप-नियम (4) या (7) के तहत श्रम आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई पक्ष इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।"

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि किसी भी संघ की अनुपस्थिति में, जिसमें प्रत्यर्थी-कर्मचारी सदस्य थे, यू.पी.औद्योगिक विवाद नियमों के नियम 40(1)(i) का उप-खंड (ए) और (बी) लागू नहीं होगा। यह उनका निवेदन था कि प्रत्यर्थियों-श्रमिकों की ओर से प्रतिनिधित्व केवल नियम 40(1)(i)(सी) के संदर्भ में हो सकता था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच स्वीकृत स्थिति के कारण था कि प्रत्यर्थी-श्रमिक किसी भी श्रमिक संघ के सदस्य नहीं थे। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, नियम 40(1)(i)(सी) पर भरोसा रखते हुए, यह अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन था कि प्रत्यर्थी-श्रमिकों की ओर से प्रतिनिधित्व केवल उन श्रमिकों में से हो सकता था जो सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत सुलह बोर्ड के समक्ष आवेदन करने के हकदार थे। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 7248 दिनांक 31.12.1958 (यू.पी.राजपत्र अधिसूचना 31.12.1958 में प्रकाशित) पर

निर्भरता रखी गई थी। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 31.12.1958 का एक प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> "सुलह बोर्ड को विवादों का संदर्भ - (1) किसी औद्योगिक विवाद के समझौते के लिए आवेदन प्रपत्र । में संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी के समक्ष पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ किया जा सकता है -
>
> (i) किसी श्रमिक के मामले में
>
> (ए) धारा 6-1 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन, उस संघ के एक अधिकारी द्वारा जिसका वह सदस्य है, या संघो के एक संघ के एक अधिकारी द्वारा जिससे ऐसा संघ संबद्ध है; या
>
> (बी) जहां किसी संस्था या उद्योग में नियोजित श्रमिकों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा श्रमिकों का कोई संघ मौजूद नहीं है, जो इस उद्देश्य के लिए आयोजित बैठक में उस संस्था या उद्योग में नियोजित श्रमिकों के बहुमत द्वारा विधिवत चुने गए हैं, या सभी श्रमिकों द्वारा, जो उस संस्था में कार्यरत हैं, यदि उनकी संख्या पांच से अधिक नहीं है;
>
> बशर्ते कि जहां श्रमिकों का कोई संघ मौजूद नहीं है और आवेदन उपरोक्त के रूप में विधिवत चुने गए श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, तो इस उद्देश्य के लिए आयोजित बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव की एक प्रति फॉर्म । में आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी, और
>
> (ii) ....."

दिनांक 31.12.1958 की अधिसूचना पर भरोसा रखने के बाद, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मैसर्स महाबीर सीजिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी और अन्य बनाम

औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद (1979 एल. ए. बी. I.C.674), इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

10. हमने अपीलार्थी-प्रबंधन के लिए विद्वान अधिवक्ता के हाथों दिए गए प्रस्तुतिकरणों पर विचारपूर्वक विचार किया है। यू.पी.औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-I पहले ही उद्धत की जा चुकी है। उसी की बारीकी से जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि धारा 6(1) केवल ऐसी स्थिति में लागू होगी जहां श्रमिक दूसरों द्वारा प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं। ऐसी अनिवार्यता में, यू.पी.औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-I में निहित शासनादेश के संदर्भ में चुनाव करना अनिवार्य है। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व एक कानूनी व्यवसायी द्वारा भी विरोधी पक्ष की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। विपरीत पक्ष की सहमति के अलावा एक कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व, धारा 6-I(2) द्वारा वर्जित है। यदि श्रमिक संघ के किसी अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की इच्छा रखते हैं, तो विकल्प केवल ऐसे अधिकारी का हो सकता है जिसने संघ में पद संभाला हो, जो दो साल से अधिक की अवधि से अस्तित्व में था। हम यहां पहले ही यू.पी.औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 40 को ऊपर उद्धत कर चुके हैं। उपरोक्त नियम के तहत भी, संघ के एक अधिकारी के माध्यम से, संघों के संघ के एक अधिकारी के माध्यम से और किसी भी संघ की अनुपस्थिति के मामले में, नियम 40(1)(i)(सी) के तहत निर्धारित तरीके से प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाता है। जहां तक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर अपीलकर्ता-प्रबंधन के विद्वान वकील की दलीलों का सवाल है, हमें उनसे सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं है।

11. वर्तमान विवाद के निर्णय में, निर्धारित किया जाने वाला प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या विवाद अधिनियम की धारा 6-I और विवाद नियमों का नियम 40 ऐसी स्थिति में लागू होगा जहां श्रमिक औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला

पेश करने का विकल्प चुनते हैं, या अपनी ओर से कुछ लोगों को चुनते हैं। हमारे सुविचारित राय में, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी विवाद में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति का चयन एक निहित अंतर्निहित अधिकार है। किसी अन्य के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने के विशेषाधिकार के लिए ही कानून की मंजूरी की आवश्यकता होती है। धारा 6-I, साथ ही नियम 40 उस सीमा को अलग करता है जिस तक उपरोक्त विशेषाधिकार का विस्तार हो सकता है। यदि किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कर्मचारी किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा से प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुनते हैं, तो वह विकल्प धारा 6-I के साथ-साथ उपरोक्त नियम 40 के अनुरूप होना चाहिए।

12. सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति के अंतर्निहित अधिकार को बहुत निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया। जहाँ तक मामले के तत्काल पहलू का संबंध है, गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम आर.के.चावला (2011) 15 एससीसी 449 में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

> "1. श्री विष्णु केरीकर, उप प्रबंधक, वित्त और एमएस इस मामले में याचिकाकर्ता, गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मुख्त्यार धारक होने का दावा करते हैं। वह याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्तिगत रूप से मामले में बहस करना चाहते हैं।
>
> 2. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 33 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) निम्नानुसार बताती हैः

"33. इस अधिनियम में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित, कोई व्यक्ति, नियत दिन को या उसके पश्चात, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय करने का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक वह इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो।"

3. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि केवल एक व्यक्ति जो एक विधि व्यवसायी के रूप में नामांकित है, वह न्यायालय में वकालत कर सकता है, सिवाय इसके कि विधि द्वारा अन्यथा प्रदान किया गया हो। यह अधिनियम की धारा 29 से भी स्पष्ट है। एक स्वाभाविक व्यक्ति, निश्चित रूप से, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है और व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर बहस कर सकता है, लेकिन वह अपनी ओर से पेश होने के लिए एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्ति के अलावा किसी और को मुख्तारनामा नहीं दे सकता है। अन्यथा धारण करना अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों को विफल करना होगा।

4. हालांकि, अधिनियम की धारा 32 न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और किसी विशेष मामले में बहस करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार निहित करती है जो एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है। अधिनियम की धारा 32 किसी व्यक्ति (एक नामांकित अधिवक्ता के अलावा) को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और बहस करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह अधिनियम द्वारा न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार

है कि वह किसी विशेष मामले में उपस्थित होने की अनुमति दे, भले ही वह एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो।"

13. हालाँकि, अपीलार्थी-प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता का यह स्पष्ट तर्क है कि यदि प्रत्यर्थी-श्रमिकों ने अपने मामले को स्वयं पेश करने का विकल्प चुना था, तो उन सभी के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा संचालित की जा रही कार्यवाही में भाग लेना अनिवार्य था। संक्षेप और सार में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि यदि प्रत्यर्थी-श्रमिक स्वयं उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं, तो उनमें से सभी 113 को औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में भाग लेना था। इसलिए यह उनका निवेदन था कि उनमें से 5 के लिए सभी 113 का प्रतिनिधित्व करना खुला नहीं था।

14. जहाँ तक उपरोक्त विवाद का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 5-सी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"5-ग. बोर्डों, श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियाँ-(1) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाये जाएँ, एक मध्यस्थ, एक श्रम न्यायालय या एक न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी मध्यस्थ, श्रम न्यायालय या संबंधित न्यायाधिकरण उचित समझे।

(2) श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसी भी विधमान या आशंकित औद्योगिक विवादों की जांच के प्रयोजन के लिए, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात, किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा जो किसी ऐसे स्थापन के अधिभोग में हो जिससे वह विवाद सम्बद्ध हो।

(3) हर बोर्ड, श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं, जब वे निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमा की सुनवाई करते हैं, अर्थात् -

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर या पुष्टि या अन्यथा पर उसकी परीक्षा करने के लिए;

(ख) दस्तावेजों और भौतिक पदार्थ की खोज और उत्पादन की आवश्यकता के लिए;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकलने के लिए;

(घ) ऐसे किसी भी विवाद से संबंधित मशीनरी सहित किसी भी संपत्ति या चीज़ का निरीक्षण करने के लिए; और

(ङ) ऐसे अन्य मामलों के संबंध में जो निर्धारित किए जाएं;

और श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच या परीक्षा को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के अन्दर न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।"

धारा 5-सी का अवलोकन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि किसी विशेष नियम की अनुपस्थिति में, एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए ऐसी प्रक्रिया का पालन करना खुला है जो वह उचित समझे। हमारा विचार है कि यह कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि यदि एक ही पक्ष में एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से शामिल हैं, तो यह उनके लिए खुला है कि वे उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने बीच से किसी एक को चुनें। इस तरह के प्रावधान को सिविल प्रक्रिया

संहिता के आदेश 1 नियम VIII के तहत भी शामिल किया गया है जिसे यहां उद्धत किया जा रहा हैः

> "8. एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा - (1) जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं वहां, -
>
> (क) इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे;
>
> (ख) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाये जा सकेंगे या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे।
>
> (2) न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञा या निदेश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो वैयक्तिक तामील कराकर या जहाँ व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसे तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां लोक विज्ञापन द्वारा, जैसा भी न्यायालय हर एक मामले में निदिष्ट करे, वाद के संस्थित किये जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा।
>
> (3) कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए उपनियम (1) के अधीन कोई वाद संस्थित किया जाता है या ऐसे वाद में

प्रतिरक्षा की जाती है, उस वाद में पक्षकार बनाये जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा।

(4) आदेश 23 के नियम 1 के उपनियम (1) के अधीन ऐसे वाद में दावे के किसी भाग का परित्याग नहीं किया जायेगा और उस आदेश के नियम 1 के उपनियम (3) के अधीन ऐसे वाद का प्रत्याहरण नहीं किया जायेगा और उस आदेश के नियम 3 के अधीन ऐसे वाद में कोई करार, समझौता या तुष्टि अभिलिखित नहीं की कयेगी जब तक कि न्यायालय ने इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से सूचना वादी के खर्चे पर न दे दी हो।

(5) जहां ऐसे वाद में वाद लेन वाला या प्रतिरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति वाद या प्रतिरक्षा में सम्यक तत्परता से कार्यवाही नहीं करता है वहां न्यायालय उस वाद में वैसा ही हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर रख सकेगा।

(6) इस नियम के अधीन वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर आबद्धकार होगी जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए, यथास्थिति, वाद संस्थित किया गया है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की गई है।"

मामले के इस दृष्टिकोण से, हम संतुष्ट हैं कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्यर्थियों-श्रमिकों के लिए अपने बीच से एक या अधिक का चयन करने का अधिकार था। उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

15. वर्तमान विवाद का निस्तारण करते समय, हमारे लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि तत्काल निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचकर निकाला गया है कि यू.पी.औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-। और यू.पी.औद्योगिक विवाद नियमों के नियम 40, केवल ऐसी स्थिति में लागू होगी जब श्रमिक औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष तीसरे पक्ष द्वारा से प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त प्रावधान तब लागू नहीं होंगे जब कर्मचारी स्वयं अपना मामला प्रस्तुत करने का विकल्प चुनते हैं। तत्काल स्थिति में, उपरोक्त प्रावधानों में से किसी को भी लागू नहीं किया जाएगा। तदनुसार, हमारे लिए यह अभिनिर्धारित करना भी अनिवार्य है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उपरोक्त निर्णय यू.पी.औद्योगिक विवाद नियमों के नियम 40(1)(i)(सी) की व्याख्या और प्रयोज्यता पर था।

16. उपर्युक्त तथ्यों के वर्णन से पता चलता है कि प्रत्यर्थी-श्रमिकों को 1989 से पहले अपीलार्थी-प्रबंधन के रोजगार में शामिल किया गया था। 1989 में कर्मचारी संघ द्वारा उनकी ओर से सुलह की कार्यवाही शुरू की गई थी। श्रमिक अपनी नौकरी की तारीख से नियमित करने और स्थायी कर्मचारियों को मजदूरी (और मजदूरी से जुड़े अन्य लाभ) का भुगतान करने की मांग कर रहे थे। सुलह की प्रक्रिया लगभग एक दशक तक जारी रही, जिसके बाद राज्य सरकार ने प्रत्यर्थियों-श्रमिकों द्वारा 28.05.1998 पर उठाए गए औद्योगिक विवाद का संदर्भ दिया। उपरोक्त संदर्भ के बाद से, अपीलार्थी-प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक या दूसरी कार्यवाही शुरू की है, जिसने प्रत्यर्थियों-श्रमिकों के दावे पर विचार करने की शुरुआत को ही रोक दिया है। अपीलकर्ता-प्रबंधन अपने आदेश दिनांक 06.03.1999 द्वारा विवाद के निर्णय को श्रम न्यायालय, गाजियाबाद से औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ में स्थानांतरित करने में राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प से भी असंतुष्ट था। इसे लेकर बार-बार उच्च न्यायालय में

चुनौती दी गई। आखिरकार, दिनांक 28.10.2010 के एक आदेश द्वारा, अपीलकर्ता-प्रबंधन ने सहमति से औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ द्वारा विवाद के निर्णय को स्वीकार कर लिया। यहीं पर श्रमिकों के पूछने पर राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 06.03.1999 के तहत इस मामले को निर्धारित करने का आदेश दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ऐसी चीज में बड़ी संख्या में वर्ष बर्बाद हो गए जिसे अंततः अपीलार्थी-प्रबंधन द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया गया। जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, यह समझ में नहीं आता है कि अपीलार्थी-प्रबंधन औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष 5 श्रमिकों के प्रतिनिधित्व से क्यों असंतुष्ट था। हमारे लिए यह समझना संभव नहीं है कि अपीलार्थी-प्रबंधन के लिए क्या पूर्वाग्रह पैदा हो सकता था यदि 5 श्रमिकों ने औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ के समक्ष प्रत्यर्थी-श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया होता। हालाँकि, यह मामला 2008 में इस न्यायालय में लाया गया था और अब 6 साल के अंतराल के बाद अंततः निर्णय लिया जा रहा है। ऊपर उल्लिखित तथ्यों के क्रम से पता चलता है कि जो दावा 1989 में शुरू हुआ था और जिसे 1998 में राज्य सरकार द्वारा निर्णय के लिए भेजा गया था, उसे अभी भी विचार के लिए नहीं लिया गया है। सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी-प्रबंधन के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि 113 मूल श्रमिकों में से, जिनकी ओर से संघ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत कार्यवाही शुरू की थी, 89 ने अपीलार्थी-प्रबंधन के साथ न्यायालय से बाहर समझौता किया था और उनमें से 24 रह गए हैं। जहां तक शेष 24 का संबंध है, उनकी सेवाओं को न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीनता रहने के दौरान समाप्त कर दिया गया है। प्रत्यर्थियों में से एक हरि निवास की सेवाओं को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया था, जबकि शेष सभी श्रमिकों की सेवाओं को वर्ष 2005 में समाप्त कर दिया गया था। हमारा विचार है कि अपीलार्थी-प्रबंधन ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, और इस तरह, श्रमिकों को उनके कथित अधिकारों की वैध खोज में

थका दिया है। यह वह उद्देश्य नहीं है जिसके लिए ये न्यायिक प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को शीघ्र राहत देने के लिए ये लाभकारी कानून बनाए गए हैं। हमारा विचार है कि मुकदमे की इस लंबी प्रक्रिया में शामिल रहने के लिए प्रत्यर्थियों-श्रमिकों को कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिए हम तत्काल अपीलों को खारिज करते हुए, अपीलार्थी-प्रबंधन को शेष चुनाव लड़ने वाले श्रमिकों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

17. न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक देरी को देखते हुए, उच्च स्तर पर मुकदमेबाजी के कारण, हम औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ को निर्देश देंगे कि वे औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकारों के उपस्थित होने की तारीख से नौ महीने के भीतर विवाद का निपटारा करने के लिए सभी प्रयास करें।

देविका गुजराल

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****